



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 254-पार०अनु०-04/पाट्राकालि-2023-18/14 टी०सी०

दिनांक: 19 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न 90वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-342-का०वि०नी० एवं विनियम-29/पाकालि/2017-10-काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 15.12.2017 को एतद्वारा अंगीकृत करते हुए निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

- परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 के परिशिष्ट-1(क), श्रेणी प-4 के बिन्दु 'क' यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत क्रमांक-23 (पदनाम -तकनीशियन ग्रेड-11 (विद्युत) वर्तमान पदनाम तकनीशियन (विद्युत)) के पदों पर पदोन्नति/सीधी भर्ती हेतु स्तम्भ-6 (भर्ती का स्रोत) में उल्लिखित निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-1 की व्यवस्था को तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 के परिशिष्ट-1(क), श्रेणी प-4 के बिन्दु 'क' यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत क्रमांक-23 (टी०जी०-11 (विद्युत)) के स्तम्भ-6 (भर्ती का स्रोत) में उल्लिखित में उल्लिखित व्यवस्था	प्रतिस्थापित की जाने वाली नवीनतम व्यवस्था
33 ¹ / ₃ प्रतिशत श्रेणी प-3 एवं प-2 से पदोन्नति द्वारा तथा 66 ² / ₃ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	10 प्रतिशत श्रेणी प-3 एवं प-2 से पदोन्नति द्वारा तथा 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

- उपरोक्त स्तम्भ-2 की व्यवस्था को प्रतिस्थापित किये जाने के उपरान्त विज्ञापित सं०-263-विनियम-23/रा०वि०प०-95-4-विनियम/86, दिनांक 09.08.1995 के अन्तर्गत परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 का परिशिष्ट-1(क) के श्रेणी प-4 में क्रमांक-23 (पदनाम-तकनीशियन ग्रेड-11 (विद्युत) वर्तमान पदनाम तकनीशियन (विद्युत)) के स्तम्भ-6 (भर्ती का स्रोत) में उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक प्रतिस्थापित माना जायेगा एवं अन्य समस्त प्राविधान (संशोधनों सहित) पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :254(1)-पार०अनु०-04/पाट्राकालि/2023 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(क्रमशः.....2)

7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8. संयुक्त सचिव (पारेषण-1), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप सचिव (पारेषण-1/1।), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- ✓15. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रांसमिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर तत्काल अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
Satyarth
(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण-तृतीय)